

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22432/2015-17/158

दिनांक-27.11.17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक - प्रथम/द्वितीय

विषय :-वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सम्बन्धित विषय पर जिला स्तरीय निबन्ध एवं आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजन बाबत।

संग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 13.11.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 08.12.17 से पूर्व जिला स्तर पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सम्बन्धित विषयों पर आशुभाषण प्रतियोगिता तथा निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना है। उक्त प्रतियोगिता में विद्यालयवार प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात् ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यार्थी भाग लेंगे। उक्तानुसार दो समूहों प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) पर आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं के जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तरीय समारोह में पुरस्कृत किया जाना है। आशुभाषण के लिये समयावधि प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) के लिये 3 मिनट तथा माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) के लिये 5 मिनट रखी जाए। इसी प्रकार निबन्ध प्रतियोगिता के लिए शब्द सीमा प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) के लिये 300 शब्द एवं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) के लिए 500 शब्द रहेगी। विद्यालय स्तर पर दोनो समूहों की प्रतियोगिताएं दिनांक : 01.12.17 को तथा विद्यालय स्तर पर दोनो समूहों के विजेता दिनांक : 04.12.17 को ब्लॉक स्तर पर नोडल विद्यालय में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर दोनों समूहों में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी दिनांक : 07.12.17 को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता के लिए विषय चयन हेतु कुछ विषयों की सूची उदाहरणस्वरूप अंग्राकित विवरणानुसार है, जिसकी सहायता से आप विषय का चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आवश्यक नहीं है कि प्रदत्त सूची से ही विषय चुने जाएं। परन्तु यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित चयनित विषय विद्यार्थी के कक्षा स्तर के अनुरूप हो।

प्राथमिक स्तर (कक्षा- 1 से 8)		माध्यमिक स्तर (कक्षा- 9 से 12)	
आशुभाषण के विषय	निबन्ध के विषय	आशुभाषण के विषय	निबन्ध के विषय
क्यों है मेरा विद्यालय उत्कृष्ट ?	मेरा विद्यालय उत्कृष्ट /आदर्श विद्यालय	ऑगनबाड़ी शिशुओ से खेल उठा मेरा विद्यालय।	मेरे विद्यालय में हुए परिवर्तन /नवाचार
बहुत रोचक है एस.आई.क्यू.ई. शिक्षण विधि	विद्यालय की भित्ति पत्रिका	मेरा विद्यालय ऐसे बना आदर्श विद्यालय	आदर्श विद्यालय-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स
मैं बचा सकता हूँ जल	जल ही जीवन है	जल है, तो कल है।	जल संरक्षण है आवश्यकता
जल बचाने की आदतें	जल के स्रोत	अपना खेत, अपना पानी	पारम्परिक जल स्रोत
मैं बनूंगा शिक्षक!	वर्षाजल संरक्षण	समृद्ध बालिका, समृद्ध कल	वर्षाजल संरक्षण
लड़का-लड़की एक समान पढ़ेगी बिटिया, तो पढ़ेगी पीढ़ियां	माँ -शिक्षक बैठक	हुनर की कोई होड़ नहीं	अध्यापक-अभिभावाक बैठक
स्वच्छता से कोई समझौता नहीं	बाल विवाह - एक अभिशाप	कौशल से रोजगार	जरूरी है जेन्डर संवेदनशीलता
विजली बचाओ!	अपनी शान, अपना शौचालय	भामाशाह कार्ड से माँ बनी घर की मुखिया	भ्रूण हत्या - एक अपराध
	भोजन में पोष्टिकता	मेरा गाँव, आदर्श गाँव	अपनी शान, अपना शौचालय

कार्यालय का पता :- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर 0151-2544043

Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

F:\ma-salven letter.docx

हाथ धुलाई - एक आवश्यक आदत	असली पालनहार है किसान	मैं हूँ स्वच्छता का प्रहरी	मिड डे मील - पौष्टिकता की ओर पहल
प्रार्थना सभा में है विद्यालय का दर्पण !	स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ ग्राम	प्रार्थना सभा है, विद्यालय का दर्पण	असली पालनहार है, किसान
शिक्षा से बढ़ेगा सम्मान, मिटेगी कुरीतियाँ।	वृक्ष हमारे मित्र हैं।	संस्कारों की सीढ़ी है पाठशाला	अखण्ड ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा।
इस बार मुझे भी मिलेगा लेपटॉप।	बाल संसद	स्वच्छ घर, स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ ग्राम	सशक्त महिला, सशक्त समाज

ध्यान रहे, जिन जिलों में दो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम उक्त कार्यक्रम हेतु सम्पूर्ण जिले के नॉडल अधिकारी के रूप में कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

(Signature)

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन कर शासकीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाए जाने हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली

कोपालपुर :- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोपालपुर उद्योग विभाग

समस्त संस्था उद्योग

28/11/17

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

मूल ही पत्र प्रेषित का लेख है कि पत्र के परिधि
राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्व होने के अन्तर्गत सरकार की प्रत्येक श्रेणी
योजनाओं के संबंधित विषय पर आशुभाषण एवं निबन्ध प्रतिप्रेषित
वृत्तस्तः पत्रांतरात् किं उद्योग विभाग एवं तृतीय स्तर वाले वॉर्ड-धारा
को दिनांक 4-12-17 को नोडल स्तर (नॉडल) पर निम्नलिखित सुनिश्चित
करावे। नोडल (नॉडल) पत्रांतरात् प्रतिप्रेषित करवाकर दोनो वॉर्ड एवं
समूहों के उद्योग एवं तृतीय स्तर वाले वॉर्ड-धारा को दिनांक 7-12-17
को जिलारत पर प्रेषित हेतु रा. उ. म. वि. कोपालपुरादेवरी के निम्नलिखित
सुनिश्चित करावे। जिला स्तर पर प्रतिप्रेषित सम्पन्न करावे के बाद
उद्योग विभाग रा. उ. म. वि. कोपालपुरा ज दोनो वॉर्ड एवं प्रतिप्रेषित करने के
नॉडल दिनांक तृतीय स्तर उद्योग विभाग की सूची इस कोपालपुरा निम्नलिखित
आज्ञा को
दिनांक 28/11/17